रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, जून 20—जून 26, 2010, शनिवार/ज्येष्ठ 30—आषाढ़ 5, 1932
No. 12] NEW DELHI, JUNE 20—JUNE 26, 2010, SATURDAY/JYAISTHA 30—ASADHA 5, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

## रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
## Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पाद विभाग)

(क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 14 जून, 2010

**का.नि.आ. 26.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह "ग" गैर तकनीकी पद (सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक), भर्ती नियम, 2000 को, जहां तक उनका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय के रक्षा उत्पादन विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' (लिपिकीय) पद भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन पद है अथवा अचयन पद | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. उच्च श्रेणी लिपिक | 714*(2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन बैंड 1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. | अचयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| **भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा |
|---|---|
| (11) | (12) |
| प्रोन्नति द्वारा | **प्रोन्नति :**<br>वेतन बैंड 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है ।<br>**टिप्पण 1.**—प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्ति या आमेलन के |

(12)

आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अनधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ वह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

**टिप्पण 2.**—टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त टंकण परीक्षा से छूट प्रदान किए जाने के पश्चात् ही उच्च श्रेणी लिपिक की श्रेणी पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाएगा और किसी ऐसी प्रोन्नति का भविष्यलक्षी प्रभाव होगा ।

**टिप्पण 3.**—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (13) | (14) |
| **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–**<br>1. नियंत्रक, क्वालिटी आश्वासन नियंत्रणालय (गोला बारूद), किरकी, पुणे —अध्यक्ष<br>2. क्वालिटी आश्वासन नियंत्रणालय (गोला बारूद), किरकी, पुणे से कोई समूह 'क' अधिकारी —सदस्य<br>3. क्वालिटी आश्वासन नियंत्रणालय (सैनिक विस्फोटक), पुणे से कोई समूह 'क' अधिकारी —सदस्य<br>4. क्वालिटी आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरी उपस्कर), औंध कैंप, पुणे से कोई समूह 'क' अधिकारी —सदस्य<br>5. प्रशासन निदेशालय, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय से कोई समूह 'क' अधिकारी —सदस्य | लागू नहीं होता । |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. अवर श्रेणी लिपिक | 793* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन-1900 रु. | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | 18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की |

| | (7) |
|---|---|
| | दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है)<br>**टिप्पण 1** : सरकारी सेवकों के लिए आयु में शिथिलीकरण तब अनुज्ञेय होगा जब केन्द्रीय सरकार के अधीन उसकी की गई नियमित सेवा तीन वर्ष से अन्यून हो ।<br>**टिप्पण 2** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।<br>**टिप्पण 3** : उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है । |

| (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|
| **आवश्यक** : (1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य; अर्हता<br>(2) अंग्रेजी टंकण में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी टंकण में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति;<br>या<br>कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति<br>**टिप्पण** : शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त ऐसे व्यक्ति को, जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यथा | हाँ, स्तंभ (11) में उपदर्शित-विस्तार तक । | दो वर्ष |

(8)

अर्हित है किंतु उसके पास टंकण में उक्त अर्हता नहीं है, इस शर्त के अध्यधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधाग्रस्त व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से सम्बद्ध चिकित्सा बोर्ड या जहां ऐसा कोई बोर्ड नहीं है वहां सिविल सर्जन यह प्रमाणित करता है कि उक्त विकलांग व्यक्ति टंकण कर सकने के योग्य नहीं है ।

**वांछनीय :** कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान ।

(11)

(i) नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

(ii) दस प्रतिशत ग्रेड वेतन 1800 रु. में समूह 'ग' कर्मचारिवृंद और जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है या समतुल्य अर्हता और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है में से सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा । सीमित विभागीय परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 50 वर्ष)

**टिप्पण :** यदि उक्त परीक्षा पर खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या की अपेक्षा अधिक कर्मचारी हैं तो कर्मचारियों की इस प्रकार की अतिरिक्त संख्या पर पश्चात्‌वर्ती वर्षों में आने वाली रिक्तियों को भरे जाने के लिए विचार किया जाएगा जैसे कि पूर्वतर परीक्षा पर अर्हक कर्मचारियों पर उनसे पहले विचार किया जाए जो पश्चात्‌वर्ती परीक्षा में अर्हित हुआ हो ।

(12)

दस प्रतिशत ग्रेड वेतन 1800 रु. में समूह 'ग' कर्मचारिवृन्द और जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है या समतुल्य अर्हता और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है में से सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा । सीमित विभागीय परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 50 वर्ष)।

**टिप्पण :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006, उस तारीख से जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अनधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पर (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(13)

**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :—**

| | |
|---|---|
| 1. स्थापना का प्रधान | —अध्यक्ष |
| 2. स्थापना से कोई समूह 'क' अधिकारी | —सदस्य |
| 3. केन्द्र पर या केन्द्र के पास अवस्थित अन्य क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय स्थापना से एक समूह 'क' अधिकारी | —सदस्य |

(14)

लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-86320/आर आर/क्लेरिकल/डीजीक्यूए/प्रशा.-10/1786/डी(क्यूए)/2010]

सुभाष चंद, अवर सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

**(Department of Defence Production)**

**(Directorate General of Quality Assurance)**

New Delhi, the 14th June, 2010

**S.R.O. 26.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Defence Production and Supplies, Director General Quality Assurance Group 'C' Non-Technical, Posts (Assistant, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2000, in so far as it relate to the post of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, in the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' (Clerical) post Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4 ) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications etc. .**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating therero shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of the post | Classification | Pay Band and Grade Pay or Pay Scale | Whether selection post or non-selection post | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Upper Division Clerk | 714* (2010) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial | Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400 | Non-selection | Not applicable | Not applicable |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made |
|---|---|
| (11) | (12) |
| By promotion | **Promotion :** From Lower Division Clerk in the pay band Rs. 5200-20200 and grade pay of Rs. 1900 with eight years regular service in the grade. **Note 1:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. **Note 2 :** Lower Division Clerk appointed without having passed the typing test will be considered by the Departmental Promotion Committee for promotion to the grade of Upper Division Clerk only after he passes the typing test or granted exemption by the Competent Authority from passing the said typing test and any such promotion will have prospective effect. **Note 3 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|
| (13) | (14) |
| **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—** 1. Controller, Controllerate of Quality Assurance (Ammunition), Kirkee, Pune —Chairman | Not applicable. |

| (13) | |
|---|---|
| 2. Any Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance (Ammunition), Kirkee, Pune | —Member |
| 3. Any Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance (Military Explosives), Pune | —Member |
| 4. Any Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance (Eneineering Equipment), Aundh Camp, Pune | —Member |
| 5. Any Group 'A' officer from Directorate of Administration, Directorate General of Quality Assurance. | —Member |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Lower Division Clerk | 793* (2010) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial | Rs. 5200-20200 and grade pay Rs. 1900 | Not applicable | Not applicable | Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants up to the age of 40 in years in case of General candidates and 45 years in case of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br><br>**Note 1 :** The age relaxation for the Government servants will be admissible where an employee has rendered not less than three years regular service under Central Government.<br><br>**Note 2 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Note 3 :** In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchanges the crucial date for determining the age-limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked in submit the names. |

| (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|
| (i) 12th Class or equivalent qualification from any recognised Board or University.<br>(ii) Minimum typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi on manual typewriter;<br>or<br>Typing speed of 35 words per minute in Engligh or 30 words per minute in Hindi on computer.<br>**Note :** A physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the Special Employment Exchange for handicapped or where there is no such Board, the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type.<br>**Desirable :**<br>Basic knowledge in computers. | Yes, to the extent indicated in column (11). | Two years |

| (11) | (12) |
|---|---|
| (i) Ninety per cent by direct recruitment.<br>(ii) Ten per cent by promotion through Limited Departmental Examination from amongst Group 'C' staff in the grade pay of Rs. 1800 and who possess 12th class pass or equivalent qualification, and have rendered three years regular service in the grade. The maximum age-limit for eligibility for limited departmental examination shall be 45 years (50 years for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes).<br>**Note :** If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualify at the said examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. | Ten per cent by promotion through Limited Departmental Examination from amongst Group 'C' staff in the grade pay of Rs. 1800 and who possess 12th class pass or equivalent qualification, and have rendered three years regular service in the grade. The maximum age-limit for eligibility for limited departmental examination shall be 45 years (50 years for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes).<br>**Note :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended |

| | (12) |
|---|---|
| | based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. |

| (13) | (14) |
|---|---|
| **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—**<br>1. Head of the Establishment —Chairman<br>2. Any Group 'A' officer from the Establishment —Member<br>3. A Group 'A' officer from other Directorate General Quality Assurance Establishment located in the station or nearby station —Member | Not applicable |

[F. No. A/86320/RR/Clerical/DGQA/Adm-10/1786/D(QA)/2010]

SUBHASH CHAND, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जून, 2010

**का.नि.आ. 27.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सैनिक प्रशिक्षण निदेशालय के अधीन सैनिक प्रशिक्षण स्थापनों में समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय, गैर-औद्योगिक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैनिक प्रशिक्षण निदेशालय, समूह 'ग' पद पर भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन पद है अथवा अचयन पद | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. सहायक भंडारी | 01*(2010) *कार्यभार के आधार पर | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' | वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच । केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या |